THE RAJASTHAN URBAN CO-OPERATIVE BANKS FEDERATION LTD. JAIPUR

केवल आंतरिक वितरण हेतु

सृजन

जुलाई, 2024

बैंकों के संचालकों व वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला

दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि. द्वारा नेफकब के सौजन्य से अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों के निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला 20 जुलाई, 2024 को होटल फाईव फ्लॉवर्स अनंता एलाइट, कोटा में आयोजित की गई। कार्यशाला में कोटा क्षेत्र की 6 अरबन को–ऑपरेटिव बैंकों क्रमशः कोटा नागरिक सहकारी बैंक, कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक, बारां, बूंदी, झालावाड़ एवं सवाईमाधोपुर के 50 प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। नेफकब अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी, सलाहकार श्री सुभाष गुप्ता, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री हरीश वेदी एवं फैडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम. एल. शर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया। कार्यशाला में गुड गवर्नेंस, ऑडिट की आवश्यकता व महत्व, टेक्नोलोजी, कम्पलायंस, साईबर सिक्यूरिटी, क्रेडिट रिस्क आदि के बारे विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यशाला में अन्य प्रतिभागियों के साथ फैडरेशन के निदेशक श्री राजेश कृष्ण बिरला एवं श्री हरिगोविन्द जैन की भी उपस्थिति रही।

नेफकब अध्यक्ष से श्री मोहन पाराशर की नेफकब कार्यालय में चर्चा

फेडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर ने नेशनल फैडरेशन ऑफ अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज (नेफकब) कार्यालय में 29 जुलाई, 2024 को नेफकब अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास से भेंट की। उन्होंने राजस्थान के अरबन बैंको के परिदृश्य को स्पष्ट करते हुए अर्बन बैंको के सामयिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान नेफकेब मुख्य कार्यकारी श्री योगेश शर्मा भी उपस्थित थे। अध्यक्ष लक्ष्मी दासजी ने राजस्थान की तीन बेंको के एस.ए.एफ. से बाहर आने को विशेष उपलब्धि माना।

अध्यक्षीय संदेश

सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारिता विभाग द्वारा वैधानिक अंकेक्षक नियुक्ति के गम्भीर मामले को उचित तरीके से निस्तारित करने के लिये हार्दिक आभार। 30 जून, 2024 तक मुझे आशा है सभी बैंकों ने उनके बैंकों के ऑडिटेड अंतिम खाते प्रकाशन उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दिये होंगे। इसके साथ ही बैंकों ने वार्षिक साधारण सभा भी आहूत करना प्रारंभ कर दी है। जिन बैंकों ने अभी तक वार्षिक साधारण सभा आहूत नहीं की है, वे ध्यान रखें कि यह कार्यवाही 30 सितंबर, 2024 तक पूर्ण करनी है। जिन बैंकों का निरीक्षण होना है, उनके लिये फैडरेशन भारतीय रिजर्व बैंक से लगातार सम्पर्क में है। विशेष रूप से उन बैंकों के लिये जो सुपरवाईजरी एक्शन फ्रेमवर्क में हैं तथा जो इससे बाहर आने की स्थिति में हैं।

30 सितंबर, 2024 को वर्ष का आधा भाग पूर्ण हो जायेगा एवं उसकी स्थिति की तुलना 31 मार्च, 2024 से करने पर हमें ज्ञात होगा कि हम बैंकिंग परिदृश्य में कितना आगे बढ़े हैं तथा किस गति से। यह समय वस्तुतः हम सभी के लिये स्वयं के आंकलन का समय है तथा हम अपनी कमजोरियों, सक्षमता एवं अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ने की रणनीति बनायें जिससे 31 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हम सभी गर्व से अपनी उपलब्धियों को दर्शा सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26.7.2024 को ''सुपरवाईजरी एक्शन फ्रेमवर्क'' के स्थान पर ''प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ''लागू किया है जो टियर 2, 3 व 4 बैंकों पर 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जायेगा। शेष बचे हुए टियर 1 वाले बैंकों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भविष्य में लागू किये जाने की पूरी पूरी सम्भावना है। फैडरेशन द्वारा पूर्व में यह परिपत्र आप सभी को प्रेषित करते हुए निवेदन किया है कि इस पर संचालक मंडल की बैठक में गम्भीरता से विश्लेषण करें। आज की इस पत्रिका में पर्यवेक्षण द्वारा जारी उक्त परिपत्र की प्रति प्रेषित की जा रही है।

21 सितम्बर, 2024 को नेफकब की वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न होने की संभावना है। मेरा अनुरोध है कि उसमें अधिक से अधिक बैंकों/प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाकर राजस्थान के बैंकों की उपस्थिति दर्शायें।

स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं सहित!

मोहन पाराशर
अध्यक्ष

फैडरेशन की मासिक समाचार–पत्रिका ''सृजन'' के माह अप्रैल, 2024 के अंक से फैडरेशन के संचालकों का प्रोफाईल विवरण एक–एक करके ''हमारे संचालक'' शीर्षक से प्रकाशित किया जा रहा है।

''हमारे संचालक''

श्री विवेकानंद पाण्डेय

अध्यक्ष–भीलवाड़ा अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

1	पिता का नाम	स्व. श्री मुरलीधर पाण्डेय
2	निवास	17–ए–11, पीएनटी चौराहा, बापूनगर, भीलवाड़ा
3	वाट्सएप मोबाईल नंबर	9829046915
4	ईमेल – कार्यालय एवं व्यक्तिगत	vivekpandey03@gmail.com
5	व्यवसाय	इंश्योरेंस एण्ड फायनेंस
6	जन्मतिथि	20.02.1975
7	अरबन बैंक से जुड़ाव कब से है	20 वर्षों से
	राजनीतिक गतिविधियां	गैर राजनीतिक
8	सामाजिक गतिविधियां	शिक्षा क्षेत्र में, महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान
9	अन्य गतिविधियां	रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि

शुभकामना संदेश

जालौर नागरिक सहकारी बैंक की 26वीं वार्षिक आमसभा सम्पन्न

जालौर नागरिक सहकारी बैंक की 26वीं वार्षिक आम सभा 2023–24 13 जुलाई, 2024 को आयोजित हुई। बैंक अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सदस्यों के समक्ष वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किये। सभा में 10 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की गई तथा बैंक के कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान में करने हेतु बैंक के उप–नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

बालोतरा अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की नवीनीकृत सुसज्जित शाखा प्रारंभ

बालोतरा अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा समदड़ी की नवीनीकृत सुसज्जित शाखा का भव्य उद्‌घाटन बैंक अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंघवी द्वारा दिनांक 31.07.2024 को सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंघवी ने बताया कि बैंक द्वारा **NEFT, RTGS, IFT, IMPS, E-Com., ATM, UPI** इत्यादि सभी प्रकार की आधुनिक ऑनलाइन तथा लाकर्स की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। भविष्य में और अधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंक प्रयत्नशील है। उन्होने कहा कि ग्रामवासियों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेते हुए क्षेत्र के विकास में भागीदार बनना चाहिए। प्रबंध संचालक गौतम सिंह जैन ने सभी सम्माननीय नागरिकों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया

बैंक के स्थापना दिवस पर
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

स्टर्लिंग अरबन को–आपरेटिव बैंक,जयपुर
– 22 जुलाई, 2024 को 38वां स्थापना दिवस

जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक
– 23 जुलाई, 2024 को 50वां स्थापना दिवस

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में फैडरेशन की सहभागिता

6 जुलाई, 2024 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ को–ऑपरेटिव एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट(राईसेम) में श्रीमती अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार महोदया की अध्यक्षता में मनाया गया। फैडरेशन की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम. एल. शर्मा अरबन बैंकिंग सेक्टर पर विचार व्यक्त करते हुए।

दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि., जयपुर

माह जुलाई, 2024 में फैडरेशन स्तर पर सम्पन्न मुख्य गतिविधियां –

- 1 जुलाई – भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के उप–महाप्रबंधक को नेफकब एवं फैडरेशन के तत्वावधान में 20 जुलाई को कोटा में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी को नामित करने हेतु निवेदन किया गया।

- 2 जुलाई – नेफकब के पत्र के संदर्भ में ''लिमिट ऑन एक्सपोजर टू सिंगल एण्ड ग्रुप बोरोअर्स'' संबंधी सूचना चाहने हेतु सदस्य बैंकों को निवेदन किया गया।

- 3 जुलाई – राज. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, जयपुर को सीकर व स्टर्लिंग अरबन को–ऑपरेटिव बैंक, जहां प्रशासक लगे हुए हैं, के चुनाव कराने के आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया। पत्र की प्रति श्रीमान उप–महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि टैफकब की बैठक में हुए विचार–विमर्श के संदर्भ में उनके स्तर से भी उपरोक्त बैंकों के चुनाव कराने हेतु सहकारी चुनाव प्राधिकरण को पत्र प्रेषित कराने का श्रम करें।

- 3 जुलाई – सदस्य बैंकों को पत्र द्वारा सुझावित किया कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर ने विशेष संज्ञान लेते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति का मामला भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव पश्चात् अनुमोदित कर दिया है परंतु यह केवल इसी वर्ष से संबंधित है तथा आगामी वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति करते समय सहकारी अधिनियम/नियमों की पूर्णतः पालना की जावे। यदि बैंक का ऑडिट किसी एक ही फर्म द्वारा लगातार 2 वर्षों तक किया जा चुका है तो उसका प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत न करें तथा भारतीय रिजर्व बैंक को यह स्पष्ट लिखें कि अधिनियम की शर्त के अनुसार 2 वर्ष तक लगातार अंकेक्षण किये जाने के कारण अन्य विकल्प के प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं।

- 6 जुलाई – अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ को–ऑपरेटिव एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राईसेम) में श्रीमती अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार महोदया की अध्यक्षता में मनाया गया। फैडरेशन की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम. एल. शर्मा अरबन बैंकिंग सेक्टर पर विचार व्यक्त किये।

- 8 जुलाई – को नेफकब द्वारा चाहे अनुसार, नेफकब के वर्ष 2023–24 के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित कराने हेतु, राजस्थान फैडरेशन द्वारा वर्ष 2023–24 में की गई गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी ईमेल से प्रस्तुत की गई।

- 10 जुलाई – संयुक्त मुख्य अंकेक्षण (जनरल), सहकारी समितियां द्वारा चाहे जाने पर राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु फैडरेशन की वर्ष 2023–24 की अंकेक्षण रिपोर्ट, पालना रिपोर्ट आदि की 30 प्रतियां एवं 2 प्रतिया पैनड्राइव में रजिस्ट्रार कार्यालय में व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई।

- 11 जुलाई– रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय द्वारा चाहे अनुसार एवं फैडरेशन के संचालक मंडल की बैठक में हुए निर्णयानुसार उपलब्ध सहकारी शिक्षा कोष की राशि प्रेषित की गई।

- 15 जुलाई – चूरू जिला अरबन को–ऑपरेटिव बैंक के संचालक श्री सत्यनारायण सैनी फैडरेशन कार्यालय में आये। फैडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उनसे चूरू बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई कंप्लायंस रिपोर्ट पर की चर्चा की।

- 16 जुलाई – संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 18.6.2024 में लिये गये निर्णय की पालना में फैडरेशन कार्यालय के लिये भूमि/भवन आबंटन के लिये प्रार्थना–पत्र राजस्थान आवासन मंडल एवं जयपुर नगर निगम ग्रेटर को भेजे।

- 18 जुलाई– लिमिट ऑन एक्सपोजर टू सिंगल एण्ड ग्रुप बोरोअर्स के बारे में नेफकब द्वारा चाही गई जो सूचना सदस्य बैंकों से प्राप्त हुई थी उसे संकलित करके नेफकब को प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि 25 लाख रूपये तक की राशि के ऋण वितरण में आधे से अधिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की पालना में कठिनाई हो रही है।

- 19 जुलाई– फैडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम. एल. शर्मा द्वारा नेफकब के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी के साथ कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक एवं कोटा नागरिक सहकारी बैंक, कोटा का विजिट किया गया एवं सार्थक चर्चा की गई। कोटा नागरिक सहकारी बैंक की भूमि पर एक पेड़ मॉ के नाम के क्रम में पौधारोपण भी किया गया।

- 20 जुलाई – फैडरेशन द्वारा नेफकब के सौजन्य से कोटा क्षेत्र की 6 बैंकों क्रमशः कोटा नागरिक सहकारी बैंक, कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक, बारां, बूंदी, झालावाड़ एवं सवाईमाधोपुर के निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होटल फाईव फ्लॉवर्स अनंता एलाइट, कोटा में आयोजित किया गया। कार्यशाला में 50 प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। नेफकब अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी, सलाहकार श्री सुभाष गुप्ता, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री हरीश वेदी एवं फैडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम. एल. शर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया। कार्यशाला में गुड गवर्नेंस, ऑडिट की आवश्यकता व महत्व, टेक्नोलोजी, कम्पलायंस, साईबर सिक्यूरिटी, क्रेडिट रिस्क आदि के बारे विस्तृत जानकारी दी गई। कोटा बैंक के संचालक श्री नवनीत जाजू ने भी सार रूप में व्याख्यान दिया।

- 22 जुलाई – फैडरेशन के वर्ष 2023–24 के खातों का अंकेक्षण श्री तरूण शर्मा, चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा किया जाकर अंतिम रूप दिया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- 22 जुलाई – सदस्य बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के नवीन वेतनमान निर्धारण के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा चाही गई सूचना सदस्य बैंकों से मंगवाने हेतु पत्र भेजा गया।

- 25 जुलाई– सदस्य बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी ग्रेड से देय वेतन पर मिलने वाले मंहगाई भत्ते बाबत माह अप्रैल एवं मई, 2024 के मूल्य सूचकांक की जानकारी सदस्य बैंकों को भेजी गई।

- 26 जुलाई– अरबन बैंक की विभिन्न बैठकों में भाग लेने हेतु संचालकों की सीटिंग फीस में बढ़ोतरी हेतु रजिस्ट्रार महोदया को निवेदन–पत्र भेजा।

- 29 जुलाई – फेडरेशन अध्यक्ष मोहन पराशर ने NAFCUB] Delhi ऑफिस में अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास से मिल कर राजस्थान के बैंको के परिदृश्य को स्पष्ट करते हुए अर्बन बैंको के सामयिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान नेफकेब सीई ओ श्री योगेश शर्मा भी उपस्थित थे। अध्यक्ष लक्ष्मी दासजी ने राजस्थान की तीन बेंको के SAF से बाहर आना विशेष उपलब्धि माना।

- 30 जुलाई – भारतीय रिजर्व बैंक ने सुपरवाईजरी एक्शन फ्रेम के स्थान पर ''Prompt Corrective Action (PCA)" 1 अप्रैल 2025 से टियर 2, 3, 4 बैंकों में लागू करने का निर्णय लिया है। पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.07.2024 सभी बैंकों को प्रेषित करते हुए यह चाहा गया कि संचालक मंडल की बैठक में इसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे।

- 31 जुलाई– वर्ष 2024–25 के ऑडिट हेतु संयुक्त रजिस्ट्रार (जनरल), सहकारी समितियां कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के संबंध में सदस्य बैंकों को पुनः पत्र द्वारा अवगत कराया कि विभाग द्वारा जारी 2024–27 की सूची में से ही संवैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु चयन करें। सहकारी अधिनियमानुसार यह भी ध्यान रखा जाना है कि एक ही अंकेक्षक से लगातार 2 वर्ष से अधिक अंकेक्षण न करावें।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2024-25/55
DOS.CO.PPG.SEC.No.8/11.01.005/2024-25

July 26, 2024

All Primary (Urban) Co-operative Banks

Madam / Dear Sir,

Prompt Corrective Action (PCA) Framework for Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)

Please refer to the circular DOR (PCB).BPD. Cir No. 9/12.05.001/2019-20 dated January 6, 2020 on the Supervisory Action Framework for Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs).

2. The existing Supervisory Action Framework (SAF) for UCBs has since been reviewed. Accordingly, the revised framework replacing the SAF, under the nomenclature Prompt Corrective Action (PCA) Framework is contained in the enclosed Annex.

3. The PCA Framework shall be applicable to all UCBs under Tier 2, Tier 3 and Tier 4 categories except UCBs under All Inclusive Directions[1]. Tier 1 UCBs, though not covered under the PCA Framework as of now, shall be subject to enhanced monitoring under the extant supervisory framework. The exemption of Tier 1 UCBs from the PCA Framework shall be reviewed in due course.

4. The objective of the PCA Framework is to enable supervisory intervention at an appropriate time and require the UCBs to initiate and implement remedial measures in a timely manner, to restore their financial health. The PCA Framework does not

[1] UCBs under All Inclusive Directions (AID) shall continue to be monitored as hitherto including with respect to the conditions under AID. A suitable transition time shall be provided to such UCBs for compliance with the provisions of the PCA Framework, as and when these come out of AID.

preclude RBI from taking any other action as it deems fit at any time, in addition to the corrective actions prescribed in the Framework.

5. The provisions of the PCA Framework will be effective from April 1, 2025.

6. UCBs which are currently subject to supervisory actions on the basis of circular DOR (PCB).BPD. Cir No. 9/12.05.001/2019-20 dated January 6, 2020 referred above will continue to be governed by the restrictions imposed on them. Such UCBs will be considered for an exit from SAF or to be placed under PCA on a case-by-case basis by the Reserve Bank of India.

7. A copy of this circular should be placed before the Board of Directors of your bank in its next meeting and a confirmation thereof should be sent to the office of the Senior Supervisory Manager concerned.

8. With effect from April 1, 2025, instructions contained in this circular shall supersede all earlier instructions issued on SAF.

Yours faithfully,

(Tarun Singh)
Chief General Manager

Enclosure: PCA Framework for Primary (Urban) Co-operative Banks

PCA Framework for Primary (Urban) Co-operative Banks

A. Capital, Asset Quality and Profitability will be the key areas for monitoring in the revised PCA Framework.

B. Indicators to be tracked for Capital, Asset Quality and Profitability would be CRAR, Net NPA Ratio (percentage of net NPA to net advances) and net profit, respectively.

C. The PCA Framework would apply to all Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs) in Tier 2, Tier 3 and Tier 4, based on breach of risk thresholds of identified indicators.

D. Breach of any risk threshold (as detailed under) may result in invocation of PCA.

PCA matrix – Parameters, Indicators and Risk Thresholds				
Parameter	**Indicator**	**Risk Threshold 1**	**Risk Threshold 2**	**Risk Threshold 3**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capital (Breach of CRAR)[2]	CRAR – Minimum Regulatory Requirement, as applicable*	Up to 250 bps below the Indicator prescribed at column (2)	More than 250 bps but not exceeding 400 bps below the Indicator prescribed at column (2)	In excess of 400 bps below the Indicator prescribed at column (2)
Asset Quality	Net Non-Performing Advances (NNPA) Ratio	>=6.0% but <9.0%	>=9.0% but < 12.0%	>=12.0%
Profitability	Net profit	Incurred losses during two consecutive years	--	--
* For Tier 2 to 4 UCBs as per the glide path provided for achieving the regulatory minimum CRAR of 12% by March 31, 2026.				

[2] Reserve Bank of India - Press Releases (rbi.org.in)

E. A bank will generally be placed under PCA Framework based on the Reported/Audited Annual Financial Results and/or the ongoing Supervisory Assessment made by RBI. However, RBI may impose PCA on any bank during the course of a year (including migration from one threshold to another) in case the circumstances so warrant. Although supervisory action taken will primarily be based on the criteria specified under the PCA Framework, the Reserve Bank will not be precluded from taking appropriate supervisory action in case stress is noticed in other important indicators/parameters or in case of serious governance issues. Also, the Reserve Bank will not be precluded from taking any supervisory action other than those indicated in this circular, based on the merits of each case.

F. Exit from PCA and Withdrawal of Restrictions under PCA - Once a bank is placed under PCA, taking the bank out of PCA Framework and/or withdrawal of restrictions imposed under the PCA Framework will be considered: a) if no breaches in risk thresholds in any of the parameters are observed as per four continuous quarterly financial statements, one of which should be Audited Annual Financial Statement (subject to assessment by RBI); and b) based on supervisory comfort of the RBI, including an assessment on sustainable improvement in key financials of the bank.

G. When a bank is placed under PCA, one or more of the following corrective actions may be prescribed:

Mandatory and discretionary actions		
Specifications	**Mandatory actions**	**Discretionary actions**
Risk Threshold 1	i. Bank to raise capital either from existing members or by issuance of equity and other permissible capital instruments ii. Restriction on declaration/payment of dividend/donation iii. Appropriate restrictions on capital expenditure, other than for technological upgradation	Common menu - Actions pertaining to: i. Special Supervisory Actions ii. Strategy related iii. Governance related iv. Capital related v. Credit risk related vi. Market risk related vii. HR related

Mandatory and discretionary actions		
Specifications	**Mandatory actions**	**Discretionary actions**
Risk Threshold 2	In addition to mandatory actions of Threshold 1, i. Restriction on branch expansion	viii. Profitability related ix. Operations/Business related x. Imposition of All Inclusive Directions/ Cancellation of Banking License xi. Any other
Risk Threshold 3	In addition to mandatory actions of Thresholds 1 & 2, i. Appropriate restrictions/ prohibition on expansion of total size of the deposits	

Common menu for selection of discretionary corrective actions

1. **Special Supervisory actions**
   i. Special Supervisory Monitoring Meetings at quarterly or other identified frequency
   ii. Special inspections/targeted scrutiny of the bank
   iii. Cause a special and/or additional audit of the bank under the extant supervisory mechanism and/or through external auditors
   iv. Resolution of the bank by Amalgamation or Reconstruction (Ref.: Section 45 of Banking Regulation Act 1949)

2. **Strategy related actions**

   RBI to advise the bank's Board to:
   i. Activate the Action Plan that has been duly approved by the supervisor
   ii. Review the progress under the Action Plan on quarterly/monthly basis and submit the post-review progress report to RBI
   iii. Undertake a detailed review of business model in terms of its sustainability, profitability of business lines and activities, medium and long-term viability, etc.
   iv. Review short term strategy focusing on addressing immediate concerns
   v. Review medium term business plans, identify achievable targets and set concrete milestones for progress and achievement
   vi. Undertake business process reengineering as appropriate

vii. Undertake restructuring of operations as appropriate
viii. Restriction on expansion of size of the balance sheet
ix. Explore merger option if steps taken by it do not appear to be yielding the desired results; seeking a Board-approved proposal for merging the UCB with another bank or converting itself into a credit society

3. Governance related actions

i. RBI to actively engage with the bank's Board on various aspects as considered appropriate
ii. RBI to remove managerial persons under relevant provisions of the BR Act 1949 as applicable
iii. RBI to supersede the Board under Section 36AAA of the BR Act 1949 (AACS)
iv. RBI to appoint Additional Directors on the Board under relevant provisions of the BR Act 1949 as applicable
v. RBI to impose other restrictions or conditions permissible under the BR Act, 1949

4. Capital related actions

i. Detailed Board level review of capital planning - UCB to submit a Board-approved Action Plan for increasing CRAR to minimum regulatory requirement or above within 12 months
ii. Submission of plans and proposals for raising additional capital
iii. Requiring the bank to bolster reserves through retained profits
iv. Restriction on investment in non-core business activities/ concerns
v. Restriction in expansion of high risk-weighted assets to conserve capital
vi. Reduction in exposure to high risk sectors to conserve capital
vii. Restrictions on increasing stake in non-core business activities/ concerns

5. **Credit risk related actions**

i. Preparation of time-bound plan and commitment for reduction of stock of NPAs - UCB to submit a Board-approved Action Plan for reducing its Net NPAs below the Risk Threshold 1

ii. Preparation of and commitment to plan for containing generation of fresh NPAs

iii. Higher provisions for NPAs/ NPIs and as part of the coverage regime

iv. Strengthening of loan review mechanism

v. Restrictions/ reduction in total credit risk weight density (e.g. restriction/ reduction in credit for borrowers below certain rating grades, restriction on fresh loans and advances carrying risk-weights more than 100% and/or beyond the specified limit, restriction/ reduction in unsecured exposures, etc.)

vi. Reduction in loan concentrations in identified sectors, industries or borrowers; Curtailment of sanction/ renewal of credit facilities to sectors/ segments having high proportion of NPAs/ defaults

vii. Reduction in exposure limits for fresh loans and advances

viii. Sale of non-banking assets

ix. Reduction in high risk-bearing assets

x. Avoiding renewal of limits for defaulting borrowers

xi. Action plan for recovery of assets through identification of areas (geography-wise, industry segment-wise, borrower-wise, etc.) and setting up of dedicated Recovery Task Forces, Adalats, etc.

xii. Prohibition on expansion of credit/ investment portfolios other than investment in government securities/ other High-Quality Liquid Investments

6. **Liquidity / Market risk related actions**

i. Restrictions on dealings/ reduction in borrowings from the inter-bank market

ii. Restrictions on accessing/ renewing wholesale deposits/ costly deposits

iii. Prohibition on expansion of size of the deposits

iv. Improving liquid assets to short term liabilities ratio

7. **HR related actions**

i. Restriction on staff expansion

ii. Review of specialized training needs of existing staff

8. **Profitability related actions**

i. Appropriate restrictions on capital expenditure

ii. Restrictions/ reduction in variable operating costs

9. **Operations related actions**

i. Measures for reduction in interest and operating/ administrative expenses

ii. Restrictions on branch expansion plans

iii. Reduction in non-core business activities

iv. Restrictions on entering into new lines of business

v. Reduction in leverage through reduction in non-fund-based business

vi. Reduction in risky assets

vii. Restrictions on non-credit asset creation

viii. Restrictions in undertaking businesses as specified

ix. Restriction/ reduction of outsourcing activities

x. Restrictions on new borrowings

xi. Identifying and closure of loss making/ non-remunerative/ unviable businesses

xii. Restrictions on entering specified business/ new line of business/ branch expansion

xiii. Rationalise branches, closing down or merging loss-making branches to the extent feasible

10. **Other actions**

i. Any other specific action that RBI may deem fit considering specific circumstances of a bank.

***